न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 173/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/394

निर्णय दिनांक 24.04.2026

गिरधारीराम दत्तक पुत्र सुगराराम जाति रेगर निवासी बिग्गाबास, वार्ड नम्बर 16, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री जितेन्द्र स्वामी अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 28 बीघा 6 बिस्वा वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी सुगरा पुत्र सुन्दर जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ के नाम रही है। सुगरा उर्फ सुगराराम के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण सुगराराम ने अपने भाई के पुत्र गिरधारीराम को गोद ले लिया। सुगराराम के केवल दो पुत्रियां नेमीदेवी व चुनीदेवी हुई। वादी के गोदगृहिता पिता सुगराराम की मृत्यु सन् 2011 में हो गई। सुगराराम की पत्नी सुवटी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी। सुगराराम की एक पुत्री नेमीदेवी की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसानों में रामकुमार, विनोद, मनमाहेन, राकेश पुत्रगण व मैनादेवी, भगवती पुत्रियां हुए। सुगराराम की मृत्युपरान्त चुन्नीदेवी पुत्री सुगराराम व रामकुमार, विनोद, मनमोहन, राकेश, मैनादेवी, भगवती पुत्र/पुत्रियां स्व. नेमीदेवी ने उक्त खेत में अपने सम्पूर्ण हिस्से का परित्याग जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र दिनांक 20.01.2011 के द्वारा वादी गिरधारीराम के पक्ष में परित्याग कर दिया जिस पर परित्याग व विरास्तन इन्तकाल संख्या 1194 दिनांकित 06.02.2011 के द्वारा उक्त खेत की खातेदारी वादी के नाम दर्ज हो गई। कालान्तर में खसरा नम्बर 169 के नये खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर कायम हो गये। उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादी के नाम सुगराराम की मृत्यु के बाद विरास्तन व परित्याग पत्र से दर्ज इन्तकाल संख्या 1194 के जरिये दर्ज हुई है। विरास्तन/परित्याग पत्र से इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम लिपिकीय भूलवंश गिरधारीलाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम गिरधारीराम है। उक्त इन्तकाल दर्ज करने के समय वादी ने अपना आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र भी प्रस्तुत किया था। वादी अनपढ व मजदूरी पैशा व कृषि पैशा व्यक्ति है जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में गिरधारीराम के नाम से जाना व पूकारा जाता है व सुगराराम की मृत्युपंरात विरास्तन इन्तकाल संख्या 1194 दर्ज करते समय वादी का नाम गिरधारीलाल दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि में वादी का नाम गिरधारीराम पुत्र सुगराराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ अंकित चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

गिरधारीराम है। वादी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले दिनांक 28.05.2025 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि वादी के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से गिरधारीलाल अंकित कर रखा है। जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही गिरधारीराम रहा है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम गिरधारीराम चला आ रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड गिरधारीलाल अंकित हो गया है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में गिरधारीराम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कस्बा श्रीडूंगरगढ़ में गिरधारीलाल दत्तक पुत्र सुगराराम जाति रेगर के नाम का वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादी की सुगराराम का गोदगृहिता पुत्र है जिसका वास्तविक नाम गिरधारीराम है। वर्णित खसरा भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपना सही नाम गिरधारीराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादी का गलत नाम गिरधारीराम अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरान भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी अपनी पैतृक खातेदारी से ही वंचित हो रहा है। वादगत खेत में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादी ने दिनांक 28.08.2025 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम गिरधारीराम है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम गिरधारीलाल अंकित कर दिया गया है जबकि मेरे अन्य तमाम सरकारी दस्तावेजात गिरधारीराम के नाम से बने हुए उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके सही नाम की रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर में वादी का नाम गिरधारीलाल गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से दिनांक 28.08.2025 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गिरधारीलाल दत्तक पुत्र सुगराराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही व वास्तविक नाम गिरधारीराम दत्तक पुत्र सुगराराम घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे गलत नाम गिरधारीलाल की जगह गिरधारीराम अंकित किया जाकर दुरुस्ति किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्‌जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "गिरधारीलाल" के स्थान पर "गिरधारी राम" घोषित किया जाकर तद्‌नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तद्‌नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

गिरधारीराम दत्तक पुत्र सुगराराम जाति रेगर निवासी बिग्गाबास, वार्ड नम्बर 16, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 173/2025

दावा बाबत खाता: घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 24.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री जितेन्द्र स्वामी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 363 तादादी 7.1600 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "गिरधारीलाल" के स्थान पर "गिरधारी राम" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 24 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0		
6.कमिश्नर की फीस	0	5. आदेशिका की तामिल	0
7.आदेशिका की तामिल	0	6. कमिश्नर की फीस	0
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)